



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 13.01.2025

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 253/24 धारा 305 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.12.2024 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि दिनांक 26.12.2024 की रात्रि मे अज्ञात चोर द्वारा वादी की पशुशाला मे बंधी भैंस चोरी कर ली गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 0253/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना मे प्रकाश मे आये अभियुक्त नसीम उर्फ लम्बू पुत्र बाबू निवासी रहमुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड के दौरान अवैध शस्त्र सहित पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।



अभियोग की अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार अभियुक्त राशिद मुल्ला पुत्र फारुख निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही विवरण

थाना बढापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राशिद मुल्ला पुत्र फारुख निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को 2940/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया ।

नोट- अभियुक्त से की गई पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश मे कि वह चोरी के पशुओं की खरीद-फरोख्त करता है । अभियुक्त नसीम उपरोक्त ने उक्त चोरी की भैंस को अभियुक्त राशिद को बेचा था जिसे उसने किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया । बरामद हुए रुपये उसी चोरी की भैंस को बेचकर प्राप्त रूपयों मे से शेष बचे हुए है ।

उपरोक्त अभियोग मे धारा 112/317(4) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राशिद मुल्ला पुत्र फारुख निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

2940/- रुपये की नगदी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 253/24 धारा 305/112/317(4) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 226/2019 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 106/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री ललित मोहन शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री विष्णु शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 2428 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2593 जितेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 13.01.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 16 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 16 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	अफजलगढ	दीपक कुमार उर्फ दीपू पुत्र रमेशचन्द नि० ग्राम मकसूदाबाद थाना अफजलगढ
2	अफजलगढ	मोहन सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम गोवर्धनपुर थाना अफजलगढ
3	अफजलगढ	रामकिशन पुत्र फतेहचन्द निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ
4	किरतपुर	भीम सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम ढाकी सादौ थाना किरतपुर
5	नगीना देहात	चरन सिंह पुत्र हरप्रसाद नि० चुण्डैली थाना नगीना देहात
6	नगीना देहात	जीराज पुत्र सुमरा निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात
7	नगीना देहात	चन्द्ररू पुत्र सुमरा निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात
8	नगीना देहात	राजू उर्फ राजवीर सिंह निवासी मेदपुरा थाना नगीना देहात
9	नगीना देहात	आसिया पत्नी मौ० वाहिद निवासी रानीकोटा थाना नगीना देहात
10	नगीना देहात	छोटी पुत्री मौ० वाहीद निवासी रानीकोटा थाना नगीना देहात
11	शेरकोट	इसराईल पुत्र अ० रशीद निवासी मौ० शेखान कस्बा व थाना शेरकोट
12	बढापुर	राहुल कुमार पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर
13	नूरपुर	कोमल सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम छजुपुरा थाना नूरपुर
14	नूरपुर	नसीम पुत्र सबीर निवासी ग्राम जाफराबाद कुरई थाना नूरपुर
15	चांदपुर	फरियाद पुत्र अफसर निवासी सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर
16	चांदपुर	राजीव पुत्र करन सिंह निवासी ठेट थाना चांदपुर



थाना अफजलगढ



थाना किरतपुर



थाना नगीना देहात



थाना शेरकोट



थाना बढापुर



थाना नूरपुर



थाना चांदपुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 13.01.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने अवैध रूप से सट्टा लगा रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आरिफ पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अवैध रूप से सट्टा लगाते हुए सट्टा पर्चा व 590/- रुपये की नगदी सहित किया गिरफ्तार । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 15/2025 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

सट्टा पर्चा व 590/- रुपये की नगदी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. हे0का0 540 पुष्पेन्द्र कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. का0 2578 भूदेव सिंह बृजमोहन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. 943 रजनीश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. का0 407 रूपेश गिरि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।